न्यायालय भू अभिलेख अधिकारी (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन न0 183/2022

प्रार्थी :- जोगेन्द्रसिंह पुत्र स्वर्गीय श्री तनसिंह चौहान जाति राजपूत निवासी मयुर नोबल एकेडमी के पास गांधीनगर बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थी :-. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 आर.एल.आर एक्ट

उपस्थितिः– 1. श्री जोगेन्द्रसिंह प्रार्थी स्वंय
2. राजकीय पेरोकार तहसीलदार, पचपदरा

'निर्णय'

दिनांक :– 05.07.2022

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र **अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश कर** संक्षिप्त रूप से जाहिर किया कि सरहद मौजा मेवानगर पटवार हल्का मेवानगर तहसील पचपदरा में प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 756/227 रकबा 9–09 बीघा, खसरा नम्बर 757/227 रकबा 9–08 बीघा, खसरा नम्बर 759/227 रकबा 14–06 बीघा, खसरा नम्बर 760/227 रकबा 14–06 बीघा के खातेदार कृषक है, जमाबंदी मय नक्शा की प्रति संलग्न प्रस्तुत करके विप्रार्थी भूमिधारी आवश्यक पक्षकार होने से इन्हे पक्षकार विप्रार्थी दर्ज कर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 760/227 रकबा 14–06 बीघा की वर्तमान नक्शे की तरमीम पर पटवारी हल्का द्वारा मनमाफिक व बिना किसी न्यायालय के आदेश के अन्य खसरों की तरमीम कर दी गयी है, जिससे प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 760/227 के राजस्व रेकर्ड नक्शे में त्रुटिपूर्ण अंकन किया गया है, मौके पर उक्त खसरे में प्रार्थी का ही कब्जा काश्त है, अन्य किसी व्यक्ति का उक्त खसरे की भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है। हल्का पटवारी द्वारा राजस्व रेकर्ड नक्शे में मनमाफिक व त्रुटिपूर्ण अंकन करने से प्रार्थी को भूमि सुधार, लोन प्राप्त करने,एवं भूमि रूपान्तरण करवाने इत्यादी में समस्या उत्पन्न हो रही है। प्रार्थना–पत्र के साथ नक्शा परिशिष्ट 'अ' को प्रार्थना–पत्र का अंग शुमार किया जाकर प्रार्थना–पत्र के साथ पढ़ा जावे। विप्रार्थी भूमिधारक के अधीन कार्यरत कर्मचारियों ने वर्तमान में वास्तविक कब्जे काश्त के अनुसार तरमीम नहीं करते हुए, प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 760/227 की भूमि की नक्शे मे गलत तरमीम कर दी गयी है, जिससे प्रार्थी को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिससे गलत तरमीम को दुरूस्त करवाना न्यायहित में आवश्यक हो गया है। उक्त गलत तरमीम करने से पहले प्रार्थी को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिये तथा बिना सुने नैसर्गिक विधि के सिद्धान्त की

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:43:34 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

अवहेलना करके गलत रूप से तरमीम कर राजस्व नक्शे में लाल लकीरे खींच दी है।ऐसा मनमाना कृत्य बिना क्षेत्राधिकार का होने से ऐसा प्रत्येक आदेश प्रारम्भ से शून्य होता है।राजस्व नक्शें में विभाजन के समय गलत लकीरे खीचकर रंग भरने मात्र से प्रार्थी के हक हित न तो दुष्प्रभावित हुए न ही हो सकते है।

अंत में निवेदन किया गया कि प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 760/227 की भूमि परिशिष्ट 'अ' में वर्णित वर्तमान मौके की स्थिति अनुसार तरमीम करने हेतु ही अनुतोष चाहकर वर्तमान प्रार्थना पत्र पेश कर राजस्व रेकर्ड नक्शा लट्ठा ट्रेस में उक्त हुई त्रुटि को दुरूस्त करने का निवेदन किया गया ।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को सम्मन को जारी किया गया । विप्रार्थीगण संख्या 1 को सम्मन बाद तामिल के प्राप्त हुए। तहसीलदार पचपदरा को इस न्यायालय के द्वारा क्रमांक/रीडर/ 2022/493 दिनांक 24.06..2022 को उक्त प्रार्थना–पत्र का जवाब पेश करने हेतु तहरीर जारी की गयी। तहसीलदार पचपदरा द्वारा पत्रांक क्रमांक / भू0अ0/2022/1236 दिनांक 01.07.2022 के द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र का जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के उल्लेखित किये गये सभी तथ्यों को सही होना स्वीकार किया गया है।

प्रार्थी स्वंय की व पेरोकार सरकार की बहस को सुना गया , बहस के दौरान प्रार्थी के द्वारा ग्राम मेवानगर के खेत खसरा नम्बर 760/227 की भूमि की नक्शे मे गलत तरमीम करने के संबंध में श्रीमान जिला कलक्टर बाड़मेर को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर तरमीम दुरूस्ती करने का निवेदन किया गया था, जिसे स्टार मार्क जांच दर्ज करवाते हुए जांच रिपोर्ट भिजवाने के निर्देश प्रदान किये गये थे, जिसकी रिपोर्ट तहसीलदार पचपदरा द्वारा भिजवाई है। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबंध में पेरोकार सरकार तहसीलदार पचपदरा के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में जांच रिपोर्ट पत्रांक क्रमांक/ राजस्व/ 2022/ 405 दिनांक 30.06.2022 को भी प्रस्तुत किया गया। जिसमें भी प्रार्थी के खेत की खसरा नम्बर 760/227 की तरमीम पटवारी हल्का के द्वारा बिना किसी आधार से किया जाना जाहिर किया गया है। प्रार्थी के द्वारा गलत रूप से बिना किसी सक्षम आदेश के राजस्व रेकर्ड में की गयी त[illegible] परिशिष्ट 'अ' के अनुसार दुरूस्त करने का निवेदन किया गया। [illegible] के द्वारा भी प्रार्थी के खेत की नक्शें में गलत तरमीम को दुरूस्ती किये जाने की [illegible] सहमति प्रकट की गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:43:34 IST
Reason: SelfAttested

हमनें पत्रावली में संलग्न प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबंदी मय नक्शा लट्ठा ट्रेस एवं तहसीलदार पचपदरा के द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं जांच रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन व अध्ययन किया गया। बाद अवलोकन यह बखुबी स्पष्ट है कि प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 760/227 रकबा 14–06 बीघा की वर्तमान नक्शे की

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

तरमीम पर पटवारी हल्का द्वारा अपनी मनमर्जी से मनमाफिक व बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के अन्य खसरों की तरमीम कर दी गयी है, जिससे प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 760/227 के राजस्व रेकर्ड नक्शे में त्रुटिपूर्ण अंकन किया गया है, उक्त गलत तरमीम करने से पहले प्रार्थी को सुना भी नहीं गया तथा प्रार्थी को बिना सुने नैसगिक विधि के सिद्धान्त की अवेहलना करके गलत रूप से तरमीम करते हुए राजस्व नक्शे में लाल लकीरे खींच दी है, ऐसा मनमाना कृत्य बिना क्षेत्राधिकार का पाये जाने से प्रारम्भ से शून्य होता है। तहसीलदार पचपदरा की रिपोर्ट के अनुसार ख.स. 760/227 की भूमि प्रार्थी के मौके पर कब्जे काश्त के विपरित की गयी गलत तरमीम होना स्वीकार किया गया है, उक्त भूमि की नजरी नक्शा परिशिष्ट "अ" में वर्तमान मौके की स्थिति के अनुसार तरमीम दुरूस्त करने हेतु निवेदन किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करने में किसी प्रकार की कोई आपति प्रतीत नहीं होती है।

प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार कर मौजा मेवानगर पटवार हल्का मेवानगर तहसील पचपदरा में खेत खसरा नम्बर 760/227 रकबा 14–06 बीघा विवादित आराजी की पटवारी हल्का के द्वारा गलत रूप की गयी तरमीम को निरस्त करते हुए तहसीलदार पचपदरा को निर्देश प्रदान किये जाते है कि वे प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रस्तुत परिशिष्ट "अ" में दर्शाइ गयी वर्तमान मौके की स्थिति के मुताबिक तरमीम दुरूस्ती करने राजस्व रेकर्ड लठ्टा ट्रेस में किया जाना सुनिश्चित करके पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

(नरेश सोनी)
भू.अभिलेख अधिकारी
(एसडीओ) बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 05.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश सोनी)
भू.अभिलेख अधिकारी
(एसडीओ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 19:43:34 IST
Reason: SelfAttested